373/2019/वे०आ०-2-373/दस-2019/62(एम)/2008टी०सी०-I

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2019**

विषय :- ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु सेवाओं के मापदण्ड निर्धारण पर विचार।

महोदय,

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 65/2016/वे0आ०-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-5 में यह प्राविधान है कि राज्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड बहुत अच्छा (VERY GOOD) शासनादेश जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा तथा शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे। विभिन्न सेवा संघों द्वारा ए०सी०पी० की देयता हेतु प्रोन्नति से कम अथवा प्रोन्नति के बराबर मापदण्ड ही निर्धारित करने की मांग करते हुए पूर्व की भांति संतोषजनक सेवा के मापदण्ड को लागू किये जाने की मांग की जा रही है।

2- उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय द्वारा शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-5 को संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से ही निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाने की स्वकृति प्रदान की जाती है :-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित एवं प्रतिस्थापित व्यवस्था
राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड बहुत अच्छा	राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु सेवा का मापदण्ड वह होगा जो वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल के पद के लिए पदोन्नति हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(VERY GOOD) इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा। शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।	निर्धारित है जिस लेवल की प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय ए०सी०पी० अनुमन्य किया जाना विचारणीय है। शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

373/2019/वे०आ०-2-373(1)/दस-2019. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -। एवं ॥ तथा (ऑडिट) -। एवं ॥ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव विधान सभा /विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
7- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।